

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं.— 09/2025
जीसीएमएस संख्या— (2025/318)

प्रार्थी:—

ओमप्रकाश दांतीवाडा पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति सेन, निवासी ग्राम दांतीवाडा,
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. गुमानराम पुत्र स्व. श्री चूनाराम
2. नरसिंगराम पुत्र स्व. श्री चूनाराम
3. श्रीमती टीपूडी पत्नी स्व. श्री चूनाराम
सभी जातियान मेघवाल निवासी ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार, जोधपुर।
प्रफोर्मा पार्टी
5. पारसराम पुत्र स्व. श्री चूनाराम जाति मेघवाल निवासी पालासनी, तहसील व
जिला जोधपुर।



पुनर्विचार याचिका (Review Application) अंतर्गत धारा 86(2)
भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.04.2022,
जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर द्वारा
राजस्व अपील प्रार्थना पत्र सं. 10/2021 अनवान ओमप्रकाश
दांतीवाडा बनाम श्री गुमानराम वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह (अप्रार्थी सं. 01, 02 व 03 की ओर से अनुपस्थित)
3. प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 05 नोटिस, तामिल बावजूद अनुपस्थित

—निर्णय—

दिनांक : 23.09.2025

1. यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर
द्वारा राजस्व अपील सं. 10/2021 बअनवान ओमप्रकाश दांतीवाडा बनाम श्री
गुमानराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022, के विरुद्ध न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर में दिनांक 18.07.2022 को पेश किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर


गया, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया है।

2. रिव्यु प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 01, 02 व 03 की ओर से श्री ईश्वर सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।
3. रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में राजस्व अपील सं. 10/2021 प्रस्तुत कर मौजा पालासनी की नामांतरकरण पुस्तिका में प्रथम बार दर्ज बंटवाडा का नामांतरकरण सं. 222 जरिये अविधिक व नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक देवमूर्ति की भूमि (डोली बनाम चिडियानाथ की बेशकीमती भूमि) को कूटरचित दस्तावेज के जरिये बंटवाडा के नामांतरकरण को आधार बनाकर हडपी गई है, इस हेतु प्रथम बार मूल नामांतरकरण बंटवाडा को खारिज करने हेतु अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को प्रस्तुत की थी।

उक्त डोली भूमि के तत्कालीन कृषक अनिया वल्द मूला मात्र देवमूर्ति भूमि का कृषक था परंतु इनके उत्तराधिकारियों ने डोली भूमि कृषक के फौत होने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाडा का नामांतरकरण दर्ज करवा दिया एवं सन् 1964 के पश्चात् निरंतर अपनी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाते रहे, जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी को हुई तो पता चला कि प्रथम दर्ज नामांतरकरण सं. 222 बंटवाडा का है, जो उक्त डोली के कृषक ने धोखे व जालसाजी से डोली भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली है। इस कारण मुझ प्रार्थी ने सार्वजनिक हित के देवमूर्ति की भूमि की रक्षार्थ हेतु नामांतरकरण खारिज करने हेतु राजस्व अपील श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को स्थानांतरित कर दी गई, जिसमें न्यायालय द्वारा मनगढंत व राजस्व रिकॉर्ड को नजर अंदाज करते हुए अपील को निर्णित कर खारिज कर दिया।



अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील संख्या 10/2021 में पारित आदेश को निरस्त किया जावे तथा पुनः सुनवाई की जाकर न्यायोचित तरीके से निर्णय पारित किया जावे।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. प्रार्थी स्वयं ने एवं अप्रार्थी सं. 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस में भाग नहीं लिया।
5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। रिव्यु प्रार्थना पत्र से संबंधित विधि प्रावधानों एवं संबंधित न्यायिक विनिश्चयों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
6. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, प्रार्थी द्वारा पूर्व में राजस्व अपील सं. 10/2021 प्रस्तुत कर मौजा पालासनी की नामांतरकरण पुस्तिका में प्रथम बार दर्ज बंटवाडा का नामांतरकरण सं. 222 जरिये अविधिक व नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक देवमूर्ति की भूमि (डोली बनाम चिडियानाथ की बेशकीमती भूमि) को कूटरचित दस्तावेज के जरिये बंटवाडा के नामांतरकरण को आधार बनाकर हडपी गई है, इस हेतु प्रथम बार मूल नामांतरकरण बंटवाडा को खारिज करने हेतु अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को प्रस्तुत की थी। उक्त डोली भूमि के तत्कालीन कृषक अनिया वल्द मूला मात्र देवमूर्ति भूमि के कृषक था परंतु इनके उत्तराधिकारियों ने डोली भूमि कृषक के फौत होने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाडा का नामांतरकरण दर्ज करवा दिया एवं सन् 1964 के पश्चात् निरंतर अपनी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाते रहे, जिसकी जानकारी प्रार्थी को हुई तो ज्ञात हुआ कि प्रथम दर्ज नामांतरकरण सं. 222 बंटवाडा का है, जो उक्त डोली के कृषक ने धोखे व जालसाजी से डोली भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली है। इस मुझ प्रार्थी ने सार्वजनिक हित के देवमूर्ति की भूमि की रक्षार्थ हेतु नामांतरकरण खारिज करने हेतु राजस्व अपील श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को स्थानांतरित कर दी गई, जिसमें मनगढंत व राजस्व रिकॉर्ड को नजर अंदाज करते हुए अपील को निर्णित कर खारिज कर दिया।
7. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 में किसी प्रकार की error apparent on face of record नहीं पाई गई है। इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के साथ भी प्रार्थी द्वारा कोई नया अभिलेख पेश नहीं किया है।



M
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

८. उक्त विधिक स्थिति के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करना समीचीन होगा—


A. २००५(१) RRT ५४५ (सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी.ई.ओ. एम.पी. व अन्य में यहां तक प्रतिपादित किया है कि “View taken in the judgement may be erroneous or erroneous view taken but cannot be a ground for review. २००७ AIR (Raj.) ७३ अनुसार बिंदु जो निर्णित व सुना जा चुका है, उसका रिव्यू नहीं हो सकता।

B. AIR १९९५ SC ४५५ में प्रतिपादित किया है कि नजरसानी के प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकती। (२०१९ RBJ २१७, २०१७ RBJ ४९६७, २०१४(१) RRT १६ में अनुसरण किया)

C. २००५ RBJ(१२) २९० में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया है—

“The scope of review is very limited. It has been clearly held in catena of cases that a Judgement/Order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC, if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is a clear distinction between ‘an erroneous decision’ and ‘an error apparent on the face of record.’ While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise.




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

D. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Parsion devi एवं अन्य बनाम Sumitri devi व अन्य (१९९७)८ SCC ७१५ में प्रतिपादित किया कि-

"Under Order 47 Rule 1 CPC, a judgement may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review under Order 47 Rule 1 CPC. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."

E. इसी प्रकार नजरसानी में गुणावगुण पर सुनवाई नहीं की जा सकती। केवल प्रत्यक्ष रिकॉर्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसके समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है-

I. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा (१९७९)

II. S. Murali Sundaram V/S Jothibai Kannan & Ors.-CA-


1167-1170/2023, निर्णय दिनांक 24.02.2023 माननीय सर्वोच्च न्यायालय

पेरी कंगासरा बनाम स्मृति मदन कंगासरा- (२०१९)२० SCC ७५३

IV. Shanti Conductors (P) Ltd. V/S Assam SEB (२०२०)२ SCC

677

F. श्रीमती राजेश्वरी एवं अन्य बनाम श्रीमती मेहरुनिशा एवं अन्य AIR Online-2021 ALL 1614 Date 15.07.2021 के पैरा सं. १० में २०२० SCC online SC ८९६ में प्रकाशित राम साहू एवं अन्य बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, रिव्यू के दायरे पर गहराई से विचार किया गया तथा इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के निम्न पूर्व निर्णयों पर विचार कर सिद्धांत तय किये


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है- हरिदास बनाम उषा रानी बनिक- (2006)4 SCC 78, मीरा भांजा यनाम निर्मला कुमारी चौधरी-(1995)1 SCC 170, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरियम पिशाक शर्मा- (1979)4 SCC 389, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगडे बनाम मिलिकार्जुन-AIR 1960 SC 137, परिशियन देवी बनाम सावित्री देवी-(1997)8 SCC 715, लिली थामस बनाम भारत संघ-(2000)6 SCC 224, बासेलियों केथोलिकोस बनाम मोस्ट रेव पालोस. अ.-AIR 1954 SC 526, इन्दरचंद जैन बनाम मोतीलाल-(2009)14 SCC 663, पटेल नरसी ठाकरसी बनाम प्रद्युमन सिंह अर्जुन सिंह-(1971)3 SCC 844, हरिविष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक-AIR 1955 SC 233, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमल सेन गुप्ता-(2008)8 SCC 612, हरियाणा राज्य बनाम एम.पी.मोहला- (2007)1 SCC 457

9. उक्त श्रीराम साहू 2020(12) स्केल 415 के माध्यम से समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य और दायरा पैरा-9 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया है-

"9. समीक्षा के दायरे की सीमा को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए धारा 114 सीपीसी के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा क्योंकि यह समीक्षा के लिए एक मूलभूत प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति खुद को या तो डिक्री से या न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति मानता है, जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन कोई अपील नहीं की जाती है या जहां किसी आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, वह उसी न्यायालय में डिक्री या आदेश की समीक्षा (रिव्यू) के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 114 सीपीसी को मात्र पढ़ने से, यह प्रतीत होता है कि धारा 114 सीपीसी के तहत समीक्षा की उक्त मूलभूत शक्ति ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में शर्त के रूप में कोई शर्त निर्धारित नहीं की है और न ही उक्त धारा ने न्यायालय पर अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में उल्लिखित निर्धारित आधारों पर ही न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, के लिए प्रार्थना पत्र, अपील की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होता है और पुनर्विचार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित निश्चित सीमा तक ही सीमित है। पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग अंतर्निहित (inherent) शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही पुनर्विचार की आड में अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।"



SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. उपरोक्त निर्णयों और सिद्धांतों के अवलोकन से पता चलता है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा सीमित है। जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अयर ने नॉर्दन इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लि. बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल, 1980(2) एससीसी 167 मामले में ठीक ही कहा था "समीक्षा की याचिका, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चांद मांगने के समान है। इसलिए जब तक दिये गये निर्णय में स्पष्ट त्रुटि न हो, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।"

11. जैसा कि उपर चर्चा की गई है, रिव्यू के दायरे को देखते हुए, यदि रिव्यू याचिका कर्ता के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का परीक्षण, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में किया जाता है, जिसमें दिनांक 07.04.2022 के आक्षेपित निर्णय का अवलोकन भी शामिल है, तो यह इंगित होगा कि निर्णय में नोट किये तथ्य/कानून के पर्याप्त प्रश्नों पर निर्णय पारित करते समय, मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया है और उन पर निष्कर्ष दिये गये हैं। प्रार्थी को पूरा अवसर देकर उसके द्वारा प्रस्तुत दलीलों/तर्कों पर विचार करने के बाद ही निर्णय पारित किया है। न्यायालय अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर द्वारा प्रार्थी के प्रभावित पक्षकार नहीं होने, 50 वर्षों पश्चात खातेदारी अधिकारों को ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनौती दिये जाने, जो प्रभावित पक्षकार नहीं है, धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत अपील चलने योग्य नहीं होने तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकॉर्ड में खादिमदार खातेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरंतर खातेदार बने रहेंगे या किसी रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी अनुवांशिकी एवं पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में



खातेदारी काश्तकार कहलाएंगे, के अनुसार अनिया वल्द मुला खातेदार के रूप में अधिनियम सं. 4 जमाबंदी संवत् 2011 से 2030 में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील में सारगर्भिता सिद्ध नहीं होने से अपील अपीलाट अस्वीकार कर खारिज करने का, आक्षेपित निर्णय दिनांक 07.04.2022 को पारित किया गया था।

12. चूंकि पुनर्विचाराधीन निर्णय न्यायालय द्वारा विधि के मूल प्रश्नों, प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार पारित करते हुए पारित किया गया है। पुनर्विचार याचिका में अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि होना साबित/इंगित नहीं की जा सकती।

SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. पुनर्विचार याचिका कर्ता अपील की पुनः सुनवाई का प्रयास कर रहा है, जो पुनर्विचार (रिव्यू) के दायरे में नहीं आता है।
14. यह न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 में किसी प्रकार की सहज दृश्य त्रुटि नहीं पाता है। फलतः यह नजरसानी खारिज की जाती है।
15. निर्णय की प्रति तहसीलदार, जोधपुर/कुडी भगतासनी को भेजी जावे।
16. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।
17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।



यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

SM
(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

SM
(जवाहर चौधरी) (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर